1111
8/2116

**झारखण्ड सरकार,**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**
**:: *संकल्प* ::**

**कृपया पढ़े :–**

1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार का संकल्प संख्या–9910, दिनांक 13.09.1996 एवं संकल्प सं0–5898, दिनांक 07.11.2008

श्री सुरेश मिश्र, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–267/03, गृह जिला– हजारीबाग), के विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1 स्वर्णरेखा परियोजना मानगो, जमशेदपुर के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप प्रपत्र– 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप है कि श्री मिश्र द्वारा भू–अर्जन का मुआवजा दिये जाने के संबंध में गौर मजरूआ सर्वसाधारण का रू0 17,64,047=18 का अवार्ड भूतपूर्व राजा एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम घोषित कर दिया गया, जिसके कारण इतनी बड़ी राशि का अवैध भुगतान हो गया।

उक्त आरोपों हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–9910, दिनांक 13.09.1996 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री यू0 के0 संगमा, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन तत्कालीन बिहार में ही दिनांक 27.05.1997 को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अवार्ड का प्रस्ताव श्री मिश्र के पूर्वाधिकारी द्वारा सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। श्री मिश्र के पदस्थापन अवधि के दौरान यह अवार्ड सरकार द्वारा स्वीकृत होकर प्राप्त हुआ। सरकार की स्वीकृति हो जाने के कारण श्री मिश्र द्वारा अवार्ड घोषित कर दिया गया। इस कारण श्री मिश्र ने मात्र सरकार के आदेश का अनुपालन ही किया है, उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। इस कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा इन्हें संदेह का लाभ देते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। परन्तु बिहार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया गया एवं आयुक्त द0छो0 प्रमंडल से कतिपय पृच्छाएँ की गयी।

विभाग स्तर पर श्री मिश्र के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए संकल्प सं0–5898, दिनांक 07.11.2008 द्वारा इन्हें भविष्य में कोई प्रोन्नति नहीं दिये जाने की सजा दी गयी।

उक्त संकल्प को निरस्त करने हेतु श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका W.P.(S) No. 235/2009 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दण्ड संकल्प को निरस्त कर दिया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है :–

"At the same time, it appears that the petitioner was facing criminal proceeding in which sanction for prosecution has already been granted by the State. If

a sanction for prosecution has been granted for a criminal proceeding or charge sheet has been filed then also the departmental promotion committee ought to keep the matter of promotion of an employee in sealed cover, as per the rules governing the service condition. The petitioner has retired in the meantime and it is informed that criminal proceeding has not concluded, though it is stated that stay was granted on 15.02.2000 in the said case by the Patna High Court. Therefore, though the impugned order on test of legal scrutiny, may not survive, but the petitioner may not be entitled to promotion if a criminal proceeding is still pending against him and sanction of prosecution in the said criminal proceeding has been granted by the State Government. Therefore, in the facts and circumstances and for the reasons discussed herein-above, the impugned order dated 07.11.2008 cannot be sustained in the eyes of law. Accordingly, it is quashed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में विधि (न्याय) विभाग से परामर्श प्राप्त की गयी। विधि (न्याय) विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि "भविष्य में कोई प्रोन्नति नहीं दी जाएगी" संबंधी दण्ड के बदले धारा–43(बी) एवं धारा–139(सी) के तहत् कार्रवाई किया जाय।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री सुरेश मिश्र के विरूद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित संकल्प सं0–5898, दिनांक 07.11.2008 को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8.2.16

(दिलीप तिर्की)

**सरकार के उप सचिव।**

ज्ञापांक–5/आरोप–1–697/2014 का॰–1111/राँची, दिनांक 8 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8.2.16

**सरकार के उप सचिव।**